8/3/18

15/3/18

15/3/18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में गुणावगुण पर मनन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि लिये जाने के बाद मेरिट पर तय होगा। प्रथम पत्रावली का अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः प्रकरण की प्रकृति को देखते हुये अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण दौराने दावा विवादित आराजी ख.नं. 107 रकबा 1.58 है., ख.नं. 108 रकबा 4.43 है, ख.नं. 109 रकबा 2.06 है. वाके ग्राम बाबला तहसील - रामगढ़ के मौके व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति को परिवर्तित नही करे। पत्रावली कैफियत दुरुस्त होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के संलग्न हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी